



UPMO010071162026

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-IV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 2189 / 2026

रविन्द्र सिंह बनाम उ०प्र० राज्य

मु०अ०सं०- 154 / 2026
धारा-61(1),319(2),338,336(3),340(2)
बी०एन०एस० व 21(4) खान एवं खनिज
अधिनियम-1957
थाना-कांठ, जिला मुरादाबाद।

दिनांक-29.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र सिंह की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मामले में उसे जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के हाशिये पर बल न दिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है। तदनुसार उक्त जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(अनिल कुमार-IV)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01,
मुरादाबाद।